

25/08 18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 889978



जय श्री बांके बिहारी जी महाराज
ट्रस्ट डीड

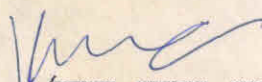
27) मैं कि कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री बांके बिहारी लाल शर्मा आयु 43 वर्ष निवासी 43 बांके बिहारी धाम, 100 फुटा रोड, दयालबाग आगरा-282005 हूँ, विदित हो कि मैंने सार्वजनिक हित, युवा उत्थान एवं शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु एक ट्रस्ट का गठन किया है, जो निम्न है:-

1. ट्रस्ट का नाम :- वैष्णव के0 के0 शर्मा ट्रस्ट।
2. ट्रस्ट का पता :- 43 बांके बिहारी धाम, 100 फुटा रोड, दयालबाग आगरा-282005।
3. ट्रस्ट में लगाया गया धन :- अंकेन रु0 51000.00 (रुपये इक्यावन हजार मात्र) से ट्रस्ट आरम्भ किया जा रहा है।

मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है-

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रक्षयता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आवद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम --4 व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे:-


(कृष्ण कुमार शर्मा)
मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 944321

(2)

1. मुख्य ट्रस्टी :- श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री बांके बिहारी लाल शर्मा, आयु 43 वर्ष, निवासी 43 बांके बिहारी धाम, 100 फुटा रोड, दयालबाग, आगरा 282005।
2. सचिव :- श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी श्री कृष्ण कुमार शर्मा आयु 35 वर्ष, निवासी 43 बांके बिहारी धाम, 100 फुटा रोड, दयालबाग, आगरा 282005।
3. कोषाध्यक्ष :- श्री बांके बिहारी लाल शर्मा पुत्र स्व० श्री रघुवीर सरन शर्मा आयु 67 वर्ष, निवासी 51/214ई/3 दशरथ कुँज, वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा।
4. मन्त्री :- श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री बांके बिहारी लाल शर्मा आयु 65 वर्ष, निवासी 51/214ई/3 दशरथ कुँज, वेस्ट अर्जुन नगर, आगरा।
5. ट्रस्ट के उद्देश्य-
 1. समाज के अर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
 2. धार्मिक, लौकिक, व्यवहारिक और औद्योगिक शिक्षा का प्रसार करना।
 3. आमजन को परिश्रम करके धन अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना तथा युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना/करवाना।
 4. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास व शिक्षण के लिए प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट (माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक) व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मसी, प्रबन्धन, विज्ञान, नर्सिंग, लॉ कालेज, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी, एयरोनॉटिकल, आर्किटेक्चर, पालीटेक्निक, आई.आई.टी., एप्लाइड आर्ट एण्ड क्राफ्ट, होटल मैनेजमेन्ट पर्यावरण के स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. इंजीनियरिंग इत्यादि कालेज एवं विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर करना तथा उनका संचालन किया जाना मुख्य उद्देश्य होगा।

(कृष्ण कुमार शर्मा)
मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 944322

मुख्य रजिस्ट्रार

15 DEC 2008

(3)

5. शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय, प्राइवेट एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंको/संस्थाओं से अनुदान/ऋण प्राप्त करना।
6. खेलकूद तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन करना।
7. समाज में सहकारिता एवं सहभागिता की भावना को विकसित करने में सहयोग देना।
8. भारतीयों के कल्याणार्थ मद्य निषेध कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं एड्स रोग की रोकथाम, विकलांगता दूर करना, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, महिला उत्थान के कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन करना।
9. पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित हर सम्भव प्रयास करना प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
10. चिकित्सालय की स्थापना व संचालन करना तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न विधाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना।
11. नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योगों की स्थापना करना।
12. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना व पदान करना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके द्वारा स्थापित संस्थाओं व इकाईयों की सुचारु व्यवस्था के लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना। ट्रस्ट की अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना व सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना तथा उनकी प्रवृद्ध इकाईयां गठित करना।
14. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
15. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।

(कृष्ण कुमार शर्मा)

मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 944323

मुख्य दस्तावेज

15 DEC 2008

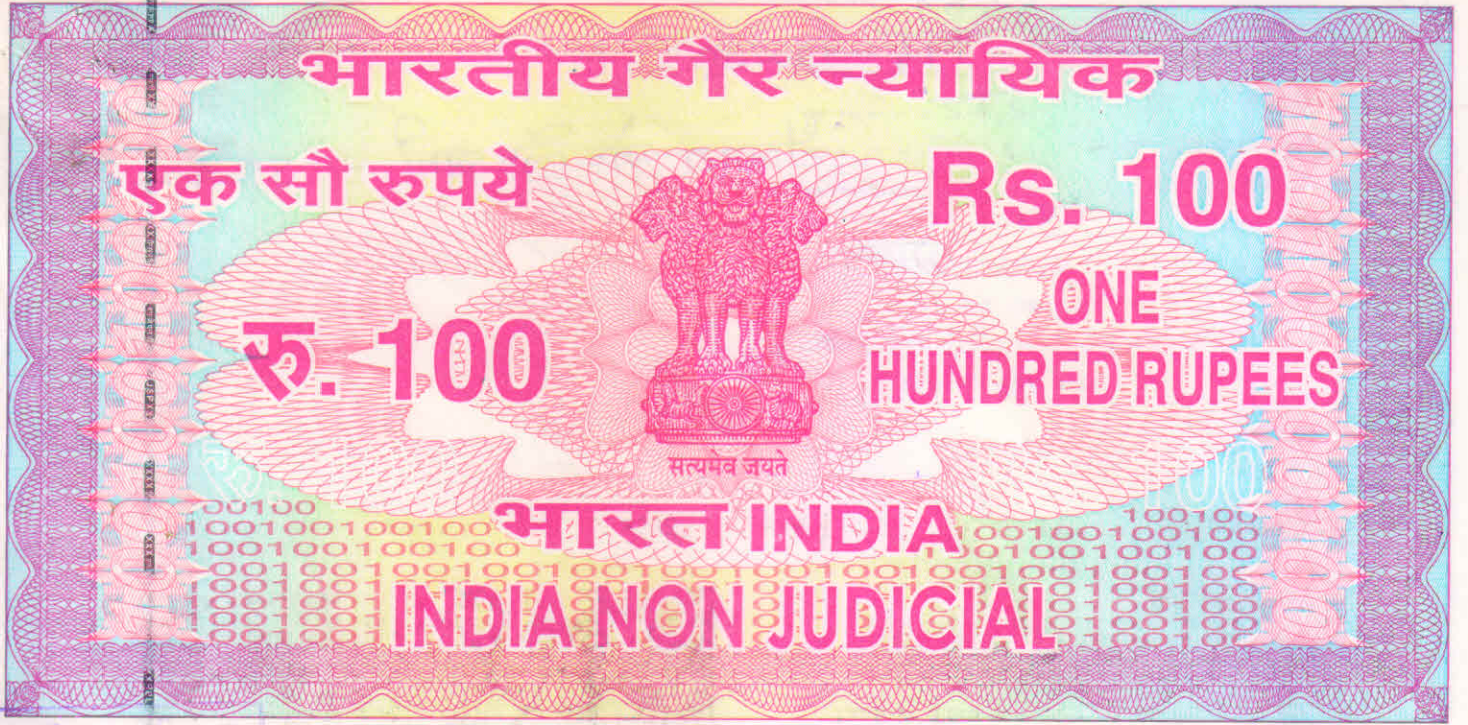
(4)

16. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
 17. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।
 18. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों कम्पनियों, निगम, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी, विभागों आदि से दान, उपहार, अनुदान व अन्य रूप से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा आवश्यकतानुसार खर्च करना।
 19. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, नावार्ड अल्पसंख्यक आयोग/बोर्ड आदि के वित्तीय सहयोग आदि से बेरोजगार निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न शिक्षण-प्रशिक्षण योजनाओं को संचालित करना प्रशिक्षण के लिए मशीनों व उपकरण एवं कच्चे माल का आयात करना एवं तैयार माल को देश विदेश के बाहर बाजार में निर्यात करना।
 20. सुलभ ग्रामोद्योग की स्थापना करना।
6. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
7. ट्रस्टियों की नियुक्ति- ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) अन्य ट्रस्टियों में से करेगा अध्यक्ष पद मुख्य ट्रस्टी के पास आजीवन रहेगा इनकी मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में वर्तमान सचिव (ट्रस्टी) ट्रस्ट की अध्यक्ष होगी जो आजीवन रहेंगी। वर्तमान अध्यक्ष और सचिव की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में वर्तमान कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे और वर्तमान अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र के वयस्क होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे। वयस्क होने पर वर्तमान अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र स्वतः आजीवन अध्यक्ष हो जायेंगे अन्यथा की स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा वर्तमान अध्यक्ष की पुत्रियों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकेंगे। इसी प्रकार भविष्य के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी।
8. ट्रस्ट मण्डल प्रमुख
श्री कृष्ण कुमार शर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे वे ही इस पद पर जीवन पर्यन्त रहेंगे।
9. ट्रस्टियों की संख्या - ट्रस्टियों की संख्या अध्यक्ष को मिलाकर अधिकतम 4 होगी।

(कृष्ण कुमार शर्मा)

मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 944324

(5)

10. मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में प्रमुख स्थान पर रहेंगे एवं सभाओं की अध्यक्षता करेंगे।
2. ट्रस्टी मण्डल की सभा में पारित सभी प्रस्ताव व निर्णय अध्यक्ष की स्वीकृति के अधीन रहेंगे।
3. ट्रस्ट की सभा में अगर अध्यक्ष हाजिर न हो तो सभा का अध्यक्ष वर्तमान सचिव (ट्रस्टी) होंगे।
4. ऐसी सभा के सभी प्रस्ताव एवं निर्णय ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष की स्वीकृति के अधीन होंगे।
5. ट्रस्ट के उपरोक्त कार्य - कलापो गतिविधियों एवं अन्य सम्बन्धित विषयों पर ट्रस्टियों में मतभेद होने की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष जी से सलाह लेंगे एवं उनके निर्णय को सभी स्वीकार करने को बाध्य होंगे।
6. ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसे भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर दो माह में नयी कार्यकारिणी समिति का विधिवत गठन करना।
7. ट्रस्ट सदस्यों व पदाधिकारियों के प्रति यह भी देखना कि वे सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं या संस्था के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं या संस्था की प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की हानि पहुँचा रहे हैं तो वह ऐसे सदस्य या पदाधिकारी या इकाई सदस्यों को पद व सदस्यता से इस्तीफा देने का परामर्श दे सकता है अथवा उन्हें कार्य मुक्त या पद व सदस्यता से तुरन्त निष्कासित कर सकता है ऐसे सदस्य/पदाधिकारी को अध्यक्ष के निर्णयविरुद्ध अपनी बहाली की कोई किसी प्रकार की अपील करने का अधिकार भी न होगा।
8. ट्रस्ट हित में दान चंदा प्राप्त करना व उसे संस्था कोष में जमा कराना।
9. ट्रस्ट की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चंदा प्राप्त करना, व सदस्यों व अन्य को उसकी रसीद अध्यक्ष स्वयं दे सकते हैं, अथवा जिसे उचित समझे रसीद देने के लिये अधिकृत कर सकते हैं।
10. ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
11. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / इंजीनियरिंग कालेजों / विश्वविद्यालयों / अन्य कालेजों व इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्तों तय करना व उसका भुगतान करना। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कार्य निष्पादित करने के लिये अध्यक्ष स्वयं अथवा जिसे उचित समझे अधिकृत कर सकते हैं।

(कृष्ण कुमार शर्मा)

मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष





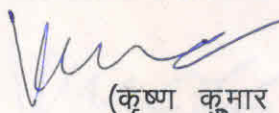
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 944325

15/12/2008

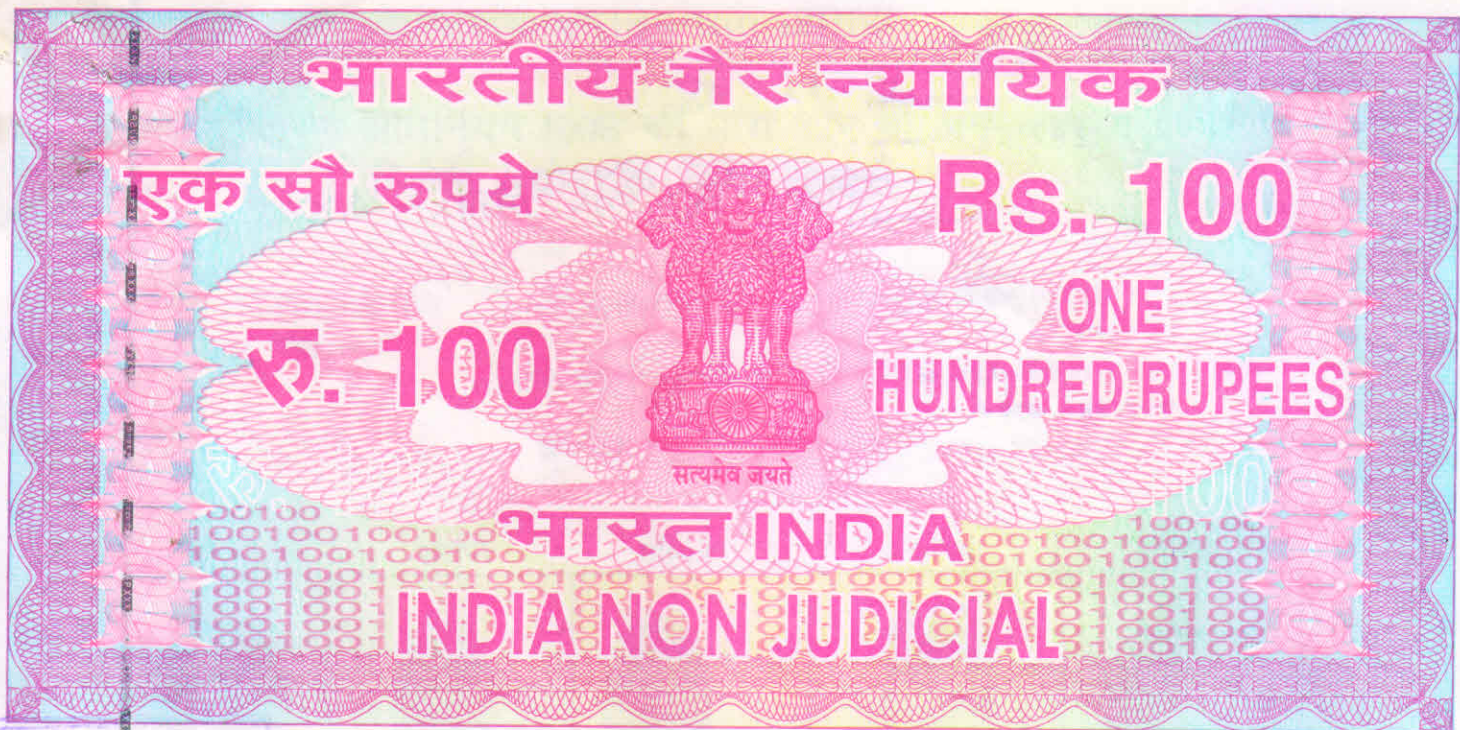
(6)

12. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / इंजीनियरिंग कालेजों / विश्वविद्यालयों / अन्य कालेजों व इकाईयों की प्रबन्ध समिति के गठन के लिये सदस्यों को नामित करना, निष्कासन, पदच्युत करने का अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कार्य निष्पादित करने के लिये अध्यक्ष स्वयं अथवा जिसे उचित समझे अधिकृत कर सकते हैं।
13. ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों आदि से सम्बन्धी न्यायालय व अदालती कार्यवाही हेतु लीगल एडवाइजर की नियुक्ति करना। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये अध्यक्ष स्वयं अथवा जिसे उचित समझे अधिकृत कर सकते हैं।
14. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैको, ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल-बाऊचरो पर हस्ताक्षर करना।
15. निश्चित तिथि पर ट्रस्ट की अमानत और ऋणों का भुगतान या वसूली का प्रबन्ध करना तथा ट्रस्ट द्वारा दिये गये रूपया पर निगरानी रखना।
16. ट्रस्ट और ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित संस्थाओं के लिये भूमि क्रय करने भवन निर्माण कराने व अन्य कार्य हेतु आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय / प्राइवेट बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये अध्यक्ष स्वयं अथवा जिसे उचित समझे अधिकृत कर सकते हैं।
17. ट्रस्ट और ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित संस्थाओं के लिये भूमि व भवन व अन्य सामग्री क्रय कर सकेंगे या विकसित चल व अचल सम्पत्तियों के क्रय / अधिकरण के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। ट्रस्ट की सम्पत्तियों और ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित संस्थाओं की सम्पत्तियों को किराये पर देने या गिरवी रखने या आंशिक / पूर्णतः बेचने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये अध्यक्ष स्वयं अथवा जिसे उचित समझे अधिकृत कर सकते हैं।
18. अन्य वे सभी कार्य करना जो ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थानों के हित में हो करने का अधिकार होगा।



(कृष्ण कुमार शर्मा)
मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 944326

(7)

12. ट्रस्टी सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को परिणीत करना।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ट्रस्ट मण्डल की बैठको का संचालन करना।
3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य भार की देखभाल करना व कार्य को सम्पादित करना।
4. ट्रस्ट व संचालित संस्थानों के विकास व प्रसार हेतु अध्यक्ष को सुझाव देना।
5. ट्रस्ट के नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्यों व सहायकों से जबाब तलब करना और समाधान हो जाने पर कि सदस्यों व सहायक पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों से संस्था की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँच रही है या पहुँचने की सम्भावना है तो उन्हें कार्य मुक्त या पद मुक्त करने की अध्यक्ष को सिफारिश करना।
6. ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं विकास में सहायक हो करना।

13. ट्रस्टी कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

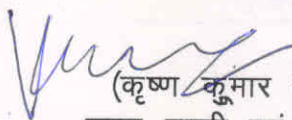
1. ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थानों के सम्पूर्ण आय-व्यय का व हिसाब-किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा।
2. ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थानों का नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट करवायेगा।

14. ट्रस्टी मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।

15. ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थानों के कोष व लेखा की व्यवस्था:-

ट्रस्ट और ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित संस्थानों का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस या प्राईवेट बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में ट्रस्ट के नाम या ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) और सचिव में से किसी एक अथवा उत्तरजीवी के हस्ताक्षर द्वारा किया जा सकेगा।


(कृष्ण कुमार शर्मा)
मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष



(8)

कार्यालय उपनिबन्धक आगरा

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन में
विक्रेता / क्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स

1- विक्रेता का नाम
व पता -

श्री. हनुमान प्रसाद शर्मा, बिक्रेता
लाल हाथी निवास, पट 3 बाली, बिक्रेता
हॉस 100 फीट रोड, आगरा

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

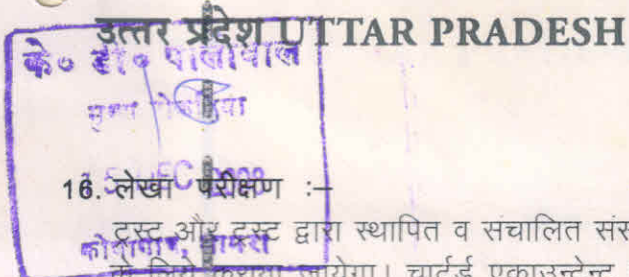
	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

2. क्रेता का नाम
व पता -

.....
.....
.....

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					



Y 944327

(8)

16. लेखन परीक्षण :-

ट्रस्ट और ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित संस्थानों का लेखा परीक्षण किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कराया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

17. भविष्य में अर्जित सम्पत्ति:-

ट्रस्ट और ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार प्रयोग की जायेगी। तथा भविष्य में ट्रस्ट और ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत उपरोक्त सभी शर्तें व अधिनियम लागू होंगे।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टी द्वारा राजी व खुशी से बिला बहकाये व सिखाये व बिला किसी नाजयज दवाब के अपने पूर्ण होश-हवाश में अपने परिवारीजनों से सलाह-मशवरा किये लिखदिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। तहसील तारीख 18/12/2008 व मसोदा दस्तावेज लेखक लक्ष्मण प्रसाद मित्तल तहसील, सदर, आगरा।

तहसील सदर आगरा

दिनांक : 18/12/2008

हस्ताक्षर गवाहान :

हस्ताक्षर

मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष

1. अशोक शर्मा पुत्र श्री स्व० श्री रामजी लाल
निवासी फेस-2, 52, पुष्पांजलि, नगला बूढ़ी, दयालबाग आगरा।

2. संजय सिकरवार पुत्र श्री स्व० श्री छत्तर सिंह
निवासी 38 मैत्री बाग, दयालबाग, आगरा।

लेखक का नाम-लक्ष्मण प्रसाद

लाईसन्स नं० 50 जारी तिथि 31-3-2009

स्थान-सदर तहसील, आगरा

वेबन शुल्क 2/- हस्ताक्षर

5812
16-12-08
700
5805

रामजी वात
साइसल नं० 34
बाइलेट को अवधि 31 मार्च 2009
बसप रू० बावरा

आज दिनांक 18/12/2008 को
वही में 4 जिल्द में 878
पृष्ठ में 271 से 288 पर क्रमांक 250
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


मेवालाल पटेल
उपनिबन्धक (प्रथम)
आगरा सदर
18/12/2008

